न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गाडोता, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी – **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 13/2016
वाद दायरी दिनांक : 01/08/2016
निर्णय दिनांक : 23/05/2017

सुरजमल पुत्र श्योजीराम, जाति जाट, निवासी किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – **श्री कन्हैया लाल माली।**
विद्वान अधिवक्ता वादी।
प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/05/17

--: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 121 के आराजी खसरा नम्बर 707, 708, 709, 711, 712 वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी वादी की क्रयशुदा आराजी है तथा वरवक्त क्रय प्रार्थी का नाम सुरजमल के वजाय सुरजकरण दर्ज करा दिया गया है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड पहचान–पत्र आदि में भी सुरजमल ही दर्ज हैं राजस्व अभिलेखों में हुई सहवन से त्रुटिवश वादी को राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है, जिस कारण वादी को अपना वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिमी हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर चालू राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम सुरजकरण हजफ किया जाकर सुरजमल दर्ज किया जावें। इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

दिनांक 27/06/2016 को पत्रावली राजस्व अभियान कैम्प कोर्ट गाडोता में पेश हुई। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट के साथ पत्रावली दिनांक 13/07/2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट दूदू में पेश हुई। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट पेश हुई।

दिनांक 23/01/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 सुरजमल, पी.डब्ल्यू 2 अखैराम के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 23/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां में पेश हुई। कैम्प में वादी व पैरोकार उपस्थित हुये।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस कैम्प में मजमे आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 121, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 121 में वादी का नाम सुरजकरण पुत्र श्योजीराम, कौम जाट सा0 देह दर्ज है, जबकि वादी ने अपना वाद–पत्र पेश कर सुरजकरण के स्थान पर सुरजमल दर्ज करवाना चाहा हैं। इस सम्बन्ध में मजमे आम में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि वादी सुरजमल का ही अन्य नाम सूरजकरण है। विक्रय–पत्र तस्दीक किये जाते समय सुरजमल के स्थान पर सुरजमल अंकित हो गया। यह राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की अशुद्धि के अन्तर्गत नहीं आता हैं। परन्तु चुंकि वादी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उपस्थित हुआ है व अपने वाद की पुष्टि में गवाह व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट करने में सफल रहा है कि वादी का नाम ही सूरजकरण एवं सुरजमल है। परन्तु दस्तावेंजों में वादी के सुरजमल नाम होने से पुष्टि होती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 121 के आराजी खसरा नम्बर 707, 708, 709, 711, 712 वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद दर्ज वाद का नाम सुरजकरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुरजमल दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/17 को कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गंगातीकलां में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्रा

शिविर प्रभारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

Form No. 3

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : [illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना (आर० ए० एस०) मुकाम दूदू जिला जयपुर

सुरजमल

बनाम तहसीलदार

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्मा नं. 13 सन 2016

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री के० एल० माली

व हाजिरी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी खाता संख्या 121 के आराजी खसरा नम्बर 707, 708, 709, 711, 712, वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मौजमाबाद दर्ज वाद का नाम सुरजकरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुरजमल दर्ज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद वशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसरा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/05/2017 सन् को

जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलेक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
[illegible] वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner